भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *161

उत्तर देने की तारीख: 03.08.2026

संस्थागत ऋण के माध्यम से अल्पसंख्यक महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण

***161. श्रीमती राजाथी:**

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संस्थागत ऋण के माध्यम से अल्पसंख्यक महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु सूक्ष्म-ऋण और रियायती ऋण योजनाओं के प्रभाव का सच्चर समिति के प्रतिवेदन के आधार पर कोई आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसी योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित अल्पसंख्यक महिलाओं की राज्य-वार और समुदाय-वार संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) क्या सरकार ने अल्पसंख्यक महिलाओं की सूक्ष्म ऋण, उद्यमिता तथा स्वरोजगार योजनाओं में भागीदारी बढ़ाने के लिए कोई विशेष पहल की है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

******

'संस्थागत ऋण के माध्यम से अल्पसंख्यक महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण' विषय पर श्रीमती राजाथी द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 03.08.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *161 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए विभिन्न योजनाओं एवं पहलों का कार्यान्वयन करता है तथा इन योजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्गों, जिनमें महिलाएँ भी शामिल हैं, पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये पहलें पहचानी गई आवश्यकताओं तथा विभिन्न समितियों एवं विशेषज्ञ निकायों, जिनमें न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर समिति भी शामिल है, द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर तैयार की जाती हैं। मंत्रालय अपनी योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए समय-समय पर तृतीय-पक्ष आकलन भी कराता है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC), जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक सशक्तीकरण एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु स्वरोजगार तथा आय-सृजन कार्यकलापों के लिए रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराता है। अल्पसंख्यक समुदायों को प्रदान किए जाने वाले प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) के प्रतिशत में निरंतर वृद्धि देखी गई है तथा वर्ष 2025–26 के दौरान किए गए नवीनतम प्रभाव आकलन के अनुसार, 89.9 प्रतिशत लाभार्थी महिला उद्यमी थीं, जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण में सरकार के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है।

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) की रियायती ऋण योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाली अल्पसंख्यक महिला लाभार्थियों का राज्यवार एवं समुदायवार विवरण **अनुबंध–क** में दिया गया है।

(ग): मंत्रालय ने सूक्ष्म ऋण, नेतृत्व विकास तथा उद्यमिता के माध्यम से अल्पसंख्यक महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण हेतु विभिन्न पहलें शुरू की हैं।

NMDFC की सूक्ष्म वित्त योजना, जिसमें लगभग 99 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएँ हैं, स्वयं सहायता समूहों (SHG) के सूक्ष्म वित्त सदस्यों को सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराती है, यह सुविधा विशेष रूप से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी झुग्गी-बस्तियों में रहने वाली अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं को प्रदान की जाती है, जिन्हें प्रायः औपचारिक बैंकिंग सेवाओं एवं संस्थागत ऋण तक पहुँच प्राप्त नहीं होती। यह योजना लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूहों (SHG) के रूप में संगठित होने तथा नियमित बचत (थ्रिफ्ट) की आदत विकसित करने एवं ऋण का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है।

साथ ही, एनएमडीएफसी (NMDFC) महिला लाभार्थियों के लिए स्वयं सहायता समूह (SHG) के प्रत्येक सदस्य को 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर 1.00 लाख रुपए तक तथा 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर 1.50 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की PM VIKAS योजना, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की रोजगार क्षमता, उद्यमिता और आजीविका के अवसरों को बढ़ाना है, के तहत नेतृत्व एवं उद्यमिता उप-घटक में

चयनित प्रतिभागियों के लिए "बिज़ सखी" या "उद्यमी मित्र" बनने के लिए 60 घंटे के "नेतृत्व एवं बुनियादी उद्यमिता विकास" प्रशिक्षण, 120 घंटे के "उद्यमिता विकास" प्रशिक्षण और 240 घंटों के एक उन्नत कार्यक्रम वाले तीन-स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से विशेष रूप से अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इन प्रशिक्षित महिलाओं की व्यापार सलाहकार के रूप में कार्य करने और स्थानीय स्तर पर अन्य महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने वालों के रूप में परिकल्पना की गई है। यह घटक उद्यमिता प्रशिक्षण, बिज सखियों/उद्यमी मित्रों के माध्यम से व्यवसाय मार्गदर्शन, NMDFC, बैंकों और NBFC के साथ ऋण संपर्क, स्वयं सहायता समूहों (SHG) और सामूहिक उद्यमों के लिए सहायता और स्थायी उद्यमिता एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए MUDRA जैसी योजनाओं के साथ अभिसरण की सुविधा भी प्रदान करता है।

*****

अनुबंध–क

'संस्थागत ऋण के माध्यम से अल्पसंख्यक महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण' विषय पर श्रीमती राजाथी द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 03.08.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *161 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एनएमडीएफसी योजनाओं के तहत महिला लाभार्थियों की राज्य-वार और समुदाय-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य	कुल महिलाएं
1	आंध्र प्रदेश	28	26	-	21	-	-	-	75
2	बिहार	5	-	-	-	-	-	-	5
3	गोवा	5	4	-	-	-	-	-	9
4	गुजरात	2	-	-	-	-	-	-	2
5	हरियाणा	54	4	13	8	1	-	-	80
6	हिमाचल प्रदेश	17	-	7	1	-	-	-	25
7	जम्मू एवं कश्मीर	454	15	5	6	-	-	-	480
8	झारखंड	2	-	-	-	-	-	-	2
9	कर्नाटक	24	6	2	36	1	-	-	69
10	केरल	9,265	12,751	-	-	14	-	5,666	27,696
11	लद्दाख	1	-	-	-	-	-	-	1
12	महाराष्ट्र	136	6	-	40	8	-	-	190
13	मिजोरम	-	43	-	-	-	-	-	43
14	ओडिशा	-	-	-	1	-	-	-	1
15	पंजाब	-	-	-	1	-	-	-	1
16	राजस्थान	20	-	3	-	18	-	-	41
17	तमिलनाडु	4,319	4,094	-	56	50	-	464	8,983
18	तेलंगाना	10	-	-	-	-	-	-	10
19	त्रिपुरा	-	-	-	1	-	-	-	1
20	उत्तर प्रदेश	4	-	1	2	-	-	-	7
21	उत्तराखंड	-	-	-	1	-	-	-	1
22	पश्चिम बंगाल	110,910	1,312	12	492	2	2	3,471	116,201
	कुल	**125,256**	**18,261**	**43**	**666**	**94**	**2**	**9,601**	**1,53,923**

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए एनएमडीएफसी योजनाओं के तहत महिला लाभार्थियों की राज्य-वार और समुदाय-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य	कुल महिलाएं
1	आंध्र प्रदेश	2	2	-	82	-	-	-	86
2	असम	1	-	-	-	-	-	-	1
3	बिहार	-	-	-	1	-	-	-	1
4	गोवा	3	-	-	-	-	-	-	3
5	हरियाणा	26	-	17	14	-	-	-	57
6	हिमाचल प्रदेश	2	-	-	-	-	-	-	2
7	जम्मू एवं कश्मीर	672	9	9	3	-	-	-	693
8	कर्नाटक	3	-	-	66	-	-	-	69
9	केरल	11,288	14,283	-	-	-	-	5,461	31,032
10	लद्दाख	15	-	-	42	-	-	-	57
11	महाराष्ट्र	151	1	-	41	3	-	-	196
12	मेघालय	-	-	1	-	-	-	-	1
13	मिजोरम	-	18	-	-	-	-	-	18
14	ओडिशा	-	-	-	4	-	-	-	4
15	पंजाब	1	-	30	-	-	-	-	31
16	राजस्थान	-	-	-	5	-	-	-	5
17	तमिलनाडु	4,128	2,906	-	109	63	-	322	7,528
18	तेलंगाना	-	-	-	3	-	-	-	3
19	त्रिपुरा	-	-	-	1	-	-	-	1
20	उत्तर प्रदेश	-	-	-	9	-	-	-	9
21	पश्चिम बंगाल	71,759	436	2	179	2	-	2,368	74,746
	कुल	**88,051**	**17,655**	**59**	**559**	**68**	**-**	**8,151**	**1,14,543**

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए एनएमडीएफसी योजनाओं के तहत महिला लाभार्थियों की राज्य-वार और समुदाय-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य	कुल महिलाएं
1	गोवा	3	-	-	-	-	-	-	3
2	हरियाणा	24	-	16	-	1	-	-	41
3	हिमाचल प्रदेश	21	-	4	1	-	-	-	26
4	जम्मू एवं कश्मीर	375	6	5	-	-	-	-	386
5	केरल	10,413	11,363	-	-	2	-	1,657	23,435
6	लद्दाख	6	-	-	20	-	-	-	26
7	मिजोरम	-	47	-	-	-	-	-	47
8	पंजाब	1	-	53	-	-	-	-	54
9	तमिलनाडु	4,305	3,185	-	-	49	-	382	7,921
10	पश्चिम बंगाल	129,362	1,105	3	572	5	-	4,283	1,35,330
	कुल	**1,44,510**	**15,706**	**81**	**593**	**57**	**-**	**6,322**	**1,67,269**

******